



आदेश

बेल नं० 6435/2022

12.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त प्रेमपाल ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत परिवाद सं० 6975/2020, राजपाल बनाम प्रेमपाल आदि, धारा 323,504,506 भा०दं०सं० थाना कादस्चौक, जनपद बदायूँ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त आत्मसमर्पण के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मामला परिवाद पर आधारित है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में 25,000/- रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जावे।

तृतीय अपर सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० बदायूँ।